न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. नारणाराम पुत्र श्री नीबाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह रेवदर, जिला-सिरोही
2. रगनाथ पुत्र श्री नीबाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह रेवदर, जिला-सिरोही
3. केवाराम पुत्र श्री नीबाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह रेवदर, जिला-सिरोही
4. भलाराम पुत्र श्री नीबाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह रेवदर, जिला-सिरोही
5. चेलाराम पुत्र श्री नीबाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. पूजाराम पुत्र सांकलाजी, जाति- भील, निवासी- जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
2. आसूराम पुत्र सांकलाजी, जाति- भील, निवासी- जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 46/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री धन्नाराम देवासी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा, प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 22 नवम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2017 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुय एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 791/62 रकबा 1.10 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का अवैध कब्जा मानते हुए अपीलार्थीगण को मौके से भौतिक रुप से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन एवं वाक्याती भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया

.....पेज दो

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

है एवं न ही मौके की सही रुप से जांच की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अपीलार्थीगण को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी, जीरावल की मौके फर्द को साक्ष्य में ग्रहण करते हुए अपीलार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये है, जबकि हल्का पटवारी की मौके फर्द में यह कहीं पर अंकित नही है कि प्रत्यर्थीगण के विवादित भूमि के किस भाग, किस स्थान पर या किस दिशा में कब्जा किया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में मौके का नक्शा भी नही दर्शाया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी, जीरावल की मौका फर्द के आधार पर अपीलार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा रिकॉर्ड ऑफ राईटस है, इसके आधार पर कब्जे के तथ्य को साबित नही किया जा सकता है अर्थात् इन दस्तावेजों से कब्जा सिद्ध नही होता है। कब्जा सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य ही उत्तम व उचित माध्यम है, परन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण व हल्का पटवारी एवं स्वतंत्र गवाहान के बयान कलमबद्ध किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किया जवे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 791/62 पर जबरन अवैध रुप से कब्जा करने पर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने अपने खातेदारी कृषि भूमि से अपीलार्थीगण को बेदखल करवाने व भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत तहसीलदार, रेवदर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी, जीरावल से मौके की जांच करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी, जीरावल द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया हुआ है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 791/62 रकबा 5.00 बीघा में से रकबा 1.10 बीघा भूमि पर कब्जा किया है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा करने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के मौके से बेदखल करने के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के

....पेज तीन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दौरान यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये एवं हल्का पटवारी से मौके की जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी पूजाराम पुत्र सांकलाजी, जाति- भील व आसूराम पुत्र सांकलाजी, जाति- भील, निवासी- जीरावल द्वारा तहसीलदार, रेवदर को दिनांक 05.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि हमारे नाम से ग्राम जीरावल में खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 791/62 रकबा 5.00 बीघा आई हुई है जिस पर नारणा पुत्र श्री निबाराम, रगनाथ पुत्र श्री निबाराम, केवाराम पुत्र श्री निबाराम, भलाराम पुत्र श्री निबाराम व चेलाराम पुत्र श्री निबाराम, सर्व जाति- रेबारी, निवासी- जीरावल द्वारा जोर जबरदस्ती काश्त कर रखी है व अतिक्रमी नारणा वगैराह को कब्जा खाली करने का कहने पर धमकीया देते है, इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर कब्जा दिलवाया जाये। प्रत्यर्थी पूजाराम व आसूराम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये एवं हल्का पटवारी, जीरावल से मौके व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 14.11.2017 को अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये एवं न ही अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता नियत सुनवाई तिथि 12.12.2017 को उपस्थित नही हुये व न ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, जीरावल की मौका फर्द दिनांक 06.12.2017 के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 791/62 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर नारणा पुत्र श्री नीबा, रगनाथ पुत्र श्री नीबा, केवा पुत्र श्री नीबा, भला पुत्र श्री नीबा व चेला पुत्र श्री नीबा, जाति- रेबारी, निवासी- जीरावल द्वारा कब्जा किया गया है। हल्का पटवारी, जीरावल की मौका फर्द में यह तथ्य भी अंकित किया हुआ है कि उक्त भूमि खातेदार पूजाराम पुत्र श्री सांकलाराम व आसुराम पुत्र श्री सांकलाराम भील, निवासी- जीरावल की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति (प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2) की खातेदारी कृषि भूमि पर

.....पेज चार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति (अपीलार्थीगण) द्वारा कब्जा करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व रेकर्ड की जांच कर बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 29.6.2018 के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक, दांतराई ने हल्का पटवारी, जीरावल आदि व स्वतंत्र मौतबिरान की उपस्थिति में ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 791/62 रकबा 1.10 बीघा भूमि से अपीलार्थीगण को बेदखल कर खातेदार पूजाराम, आसूराम पिसरान- सांकलाराम को भौतिक रुप से कब्जा सुपर्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही